

Regarding need to provide weather-based Crop Insurance cover for banana crop-Laid

श्री ज्ञानेश्वर पाटील (खण्डवा) : मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा के अंतर्गत जिला बुरहानपुर में 60 हजार एकड़ में केले की फसल लगती है । 30 हजार से अधिक किसान केले की खेती से जुड़े हैं । इसलिए केला फसल का मौसम आधारित फसल

बीमा होना चाहिए । हर साल मौसम बदलाव, तेज गर्मी, बेमौसम होनेवाली बारिश और प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के केले की फसलों का लाखों का नुकसान होता है । किसानों को अपनी फसल उखाड़कर फेकनी पड़ती है । किसानों को हर बार यह डर सताता है कि अगर प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान हुआ तो क्या होगा, क्योंकि जो मुआवजा फसल बीमा में मिलता है वह राजस्व विभाग के आरबीसी नियम 6-4 के तहत नहीं मिल पाता । केंद्र सरकार द्वारा हर साल केला फसल के बीमे के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है । लेकिन 2020 से अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से किसी भी किसान को बीमा फसल का लाभ नहीं मिला । बुराहनपुर में इस बार प्राकृतिक आपदा के कारण 5 बार केला फसल को नुकसान पहुंचा है । अतः मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करता हूँ कि केले के फसलों का मौसम आधारित फसल बीमा होना चाहिए जिससे हर साल किसानों के केला फसलों के होनेवाले नुकसान का 100 प्रतिशत मुआवजा उनको मिल सकेगा ।